# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजिस्टर्ड नंबर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/73/2024 | 2023/107 | 30.10.2024 | 19.02.2025 |

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

**बनाम**

01. श्री बृजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हेमताराम सैनी निवासी 174, मंगल विहार, मोती डूंगरी, अलवर राज0।

–अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलेटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 01 जनरेटर सेट को राजसात करने बाबत।**

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद जुनेजा –विभागीय प्रतिनिधि।

## —:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलेटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 01 जनरेटर सेट को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 29.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी यहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री ब्रजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हेमताराम, निवासी 174, मंगल विहार, मोती डूंगरी, अलवर की ब्रजेश कुमार सैनी, मोती डूंगरी, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री ब्रजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हेमताराम, निवासी 174, मंगल विहार, मोती डूंगरी, अलवर उपस्थित मिले। श्री ब्रजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हेमताराम की दुकान पर 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग वाहनों में अवैध रिफलिंग कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया।

श्री ब्रजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हेमताराम द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री ब्रजेश कुमार सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाहनों में अवैध रिफलिंग कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3

अ। रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट को मै० ज्योति गैस सर्विस, अलवर के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि मिन प्रार्थी ने धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी कतई निर्दोष है। वास्तविक तथ्य. इस प्रकार है कि दिनांक 29–09–2024 रविवार को सुबह करीब 6.30 बजे प्रवर्तन अधिकारी, अलवर मय लवाजमा मोती डूंगरी अलवर पर आये और प्रार्थी की खड़ी गाड़ी नंबर आरजे 02/जीसी 4161 में अंजली भारत गैस एजेन्सी, तसई जिला अलवर के रखे हुए 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलेटर को निकलवाकर उतरवा लिया तथा आर के गैस की दुकान में से भी मरम्मत के लिए रखा हुआ सामान फिलिंग सिस्टम 1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट, 1 जनरेटर सैट को जब्त कर लिया और उक्त समस्त सामान को दूसरी गाड़ी में रखवाकर जब्त करके ले गये। प्रार्थी उक्त वाहन का मालिक है तथा प्रार्थी की गाड़ी में अंजली भारत गैस एजेन्सी, तसई जिला अलवर के सिलैण्डर रखे हुए थे जिनको बदलवाने के लिए मोहन गैस व ज्योति गैस पर लाया गया था तथा वाहन घटना की रात्रि में आया था तथा वाहन चालक ने वाहन को रात्रि में मोती डूंगरी के पास खड़ा कर लिया और सुबह सिलैण्डर बदलवाने के लिए उक्त गैस एजेन्सीयों पर ले जाने थे किन्तु अलसुबह ही उक्त सिलैण्डर को जब्त कर लिया गया। प्रार्थी अपना वाहन भाड़े पर चलाता है तथा वाहन प्रतिदिन उक्त गैस एजेंसी गोदाम से सिलेण्डर लाने व ले जाने के काम में आता है। प्रार्थी कतई निर्दोष है जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी सिलेण्डर्स का मालिक नहीं है। प्रार्थी को बेजा रूप से आरोपित किया गया है।

प्रार्थी का वाहन जब्त नहीं किया गया किन्तु सिलैण्डर वाली एजेन्सी ने प्रार्थी के वाहन को उसी समय से अपने कब्जे में किया हुआ है और कहता है कि सिलैण्डर लेकर आओ तब गाडी छोदूँगा, जिससे प्रार्थी को प्रतिदिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण हाजा से प्रार्थी को मुक्त फरमाया जावे तथा जब्तशुदा सिलैण्डर्स एवं अन्य सामान को छोड़े जाने की आज्ञा भी प्रदान की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री ब्रजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हेमताराम की दुकान पर 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग वाहनों में अवैध रिफलिंग कार्य के लिए किया जा रहा था। वक्त जांच मौके पर श्री ब्रजेश कुमार सैनी द्वारा घरेलू व व्यावसायिक सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री ब्रजेश कुमार सैनी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग कार्य में दुरूपयोग करना पाया गया है, जो कि जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

19.2.25

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
अलवर (राज०)

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 63 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 15 रेग्यूलटर, फिलिंग सिस्टम–1, 3 पाईप, 2 मोटर, 2 वेट मशीन एवं 1 जनरेटर सेट सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)